



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-239993
CG-DL-E-03112022-239993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4886]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944

No. 4886]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5105(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3366(अ), 25 जुलाई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में आरमगढ-शमशाबाद सेक्शन के NH-44 के कि.मी. 9.900 से कि.मी. 19.948 (रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, राजेंद्र नगर) तक के भूखण्ड पर निर्माण (चौड़ीकरण/6-लेन पेव्ड शोल्डर सहित का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "27 अगस्त 2022" को "नमस्ते तेलंगाना"(तेलुगु) और "द हिन्दू"(अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में आरमगढ़-शमशाबाद सेक्शन NH-44 के कि.मी. 9.900 से कि.मी. 19.948 तक (रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, राजेंद्र नगर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: रंगारेड्डी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शमशाबाद					
गांव का नाम: शमसाबाद					
1	668	सरकारी(धर्मदाय भूमि)	सूखा(रामालयम)	0.377284	एंडोमेंट डिपार्टमेंट ()
2	697	सरकारी(धर्मदाय भूमि)	सूखा(कट्टा मैसम्मा)	0.008867	एंडोमेंट डिपार्टमेंट ()
3	697	सरकारी(धर्मदाय भूमि)	सूखा(धर्मदाय भूमि)	0.0155834	एंडोमेंट डिपार्टमेंट ()
			कुल	0.4017344	

[फा. सं. NH-44TS-2017-18-40/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2022

S.O. 5105(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O NO. 3366(E), dated on 22nd July 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (widening/Six laning with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH-44 in the stretch of land from Km. 9.900 to Km. 19.948 (Revenue Divisional Officer, Rajendra Nagar) Aramghar-Shamshabad section in the district of RANGAREDDI in the state of TELANGANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Namasthe Telangana”(Telugu) and “The Hindu”(English) both dated 27 August 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the competent Authority has received no objections;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-44 in the stretch of land from Km. 9.900 to Km. 19.948 (Revenue Divisional Officer, Rajendra Nagar) Aramghar-Shamshabad section in the district of RANGAREDDI in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: RANGAREDDI			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shamshabad				
	Village: Shamshabad				
1	668	Government (Endowment Land)	Dry (Ramalayam)	0.377284	Endowment Department
2	697	Government (Endowment Land)	Dry (Katta Mysamma)	0.008867	Endowment Department
3	697	Government (Endowment land)	Dry (Endowment Land)	0.0155834	Endowment Department
			TOTAL	0.4017344	

[F. No. NH-44TS-2017-18-40/3D]

RAJESH GUPTA, Director